Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

- **रतनपुर बॉर्डर, जिला डूंगरपुर पर परिवहन विभाग के उप निरीक्षक एवं उडन दस्ते के गार्ड एवं दलाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **मौके पर अवैध रूप से वसूले 2 लाख 69 हजार 840 रूपये बरामद**

जयपुर, 13 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देशों पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा गुरूवार देर रात को कार्यवाही करते हुये परिवहन विभाग की चैक पोस्ट रतनपुर बॉर्डर, डूंगरपुर पर परिवहन विभाग के चैक पोस्ट प्रभारी उप निरीक्षक छगन मेघवाल एवं उडन दस्ते के गार्ड जितेन्द्र सिंह, गार्ड महिपाल सिंह, गार्ड पूरण सिंह एवं दलाल नेपाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर चैक पोस्ट एवं तैनात कार्मिकों की तलाशी में अवैध रूप से वसूली 2 लाख 69 हजार 840 रूपये की राशि बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी को परिवहन विभाग की रतनपुर चैक पोस्ट, जिला डूंगरपुर पर अवैध वसूली की अनेक शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी इसी क्रम में एक शिकायत पर कार्यवाही करते हुये एसीबी की कोटा इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशील ठाकुर** के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा परिवहन विभाग **उप निरीक्षक छगन मेघवाल एवं उडन दस्ते के गार्ड जितेन्द्र सिंह, गार्ड महिपाल सिंह, गार्ड पूरण सिंह एवं दलाल नेपाल सिंह** को वाहन चालकों को रोककर एन्ट्री के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। **मौके पर चैक पोस्ट एवं तैनात कार्मिकों की तलाशी में अवैध रूप से वसूल किये गये 2 लाख 69 हजार 840 रूपये की राशि बरामद की गई है।** परिवहन विभाग के कुछ कर्मी रिश्वत राशि के साथ फरार होने की जानकारी भी मिली है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम. एन. के निकट पर्यवेक्षण में मौके पर कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।